

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

ज्ञा प न

क्रमांक... B/3693 /  
चार-12-39/2018


जबलपुर, दिनांक 26 जुलाई, 2019

प्रति,

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राज्य के समस्त
2. प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, समस्त, उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर
3. रजिस्ट्रार, समस्त, उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर
4. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राज्य के समस्त
5. विशेष न्यायाधीश, राज्य के समस्त
6. प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर
7. संचालक/अतिरिक्त संचालक, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, उत्सादित म.प्र. राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर
8. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, उत्सादित म.प्र.राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
9. बजट अधिकारी/लेखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी (लेखा), गोपनीय, शिकायत, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर
10. सहायक(यात्रा भत्ता)/यात्रा भत्ता लिपिक, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
11. रजिस्ट्रार (आई.टी) की ओर उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

विषय : अधिवक्ता/परामर्शदाता एवं अन्य व्यक्ति का नाम किसी सम्मेलन/बैठक या अन्य किसी कार्यवाही के लिये अनुमोदित किया जाता है तो आदेश में यात्रा भत्ता दिये जाने के संबंध में श्रेणीयन किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषय में यथानिर्देशित लेख है कि भविष्य में यदि किसी अधिवक्ता/परामर्शदाता एवं अन्य व्यक्ति का नाम किसी भी किसी सम्मेलन/बैठक या अन्य किसी कार्यवाही में शामिल होने के लिए अनुमोदित किया जाता है तो आदेश में यात्रा भत्ता दिये जाने के संबंध में स्पष्ट श्रेणीयन अर्थात् श्रेणी बी की पात्रता निर्धारित करते हुए आदेशित किया जावे ।

  
 25.7.19  
 (सतीश चन्द्र राय)  
 रजिस्ट्रार (प्रशासन)



